रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102024-258377
CG-DL-E-30102024-258377

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 613] नई दिल्ली मंगलवार, अक्तूबर 29, 2024/कार्तिक 7, 1946
No. 613] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 2024/KARTIKA 7, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2024

सा.का.नि. 671(अ).—अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उप-धारा (2) के खंड (जेडएम) और (जेडपी) के साथ पठित धारा 52 की उप-धारा (2), धारा 53 की उप-धारा (1) और (3) तथा धारा 54 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा दिनांक 07 जून, 2022 के सा.का.नि सं. 427 (ई) के माध्यम से अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 2022 में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है; और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिसको आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं;

इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, तो निदेशक (आईडब्ल्यूटी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 251, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल द्वारा ajay.sirohi@nic.in और uttam.mishra27@gov.in पर ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं;

मसौदा संशोधन

1. (1) इन नियमों को अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 कहा जा सकेगा।

2. (2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 2022 (यहां बाद में उक्त नियम के रूप में संदर्भित) में नियम 2 के खंड (ग) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"स्पष्टीकरण. - इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, 24 मीटर से अधिक के जलयानों के सकल टन भार की गणना पोतों के टन भार माप पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1969 के अनुसार की जाएगी, जबकि 24 मीटर से कम के जलयानों के सकल टन भार की गणना वाणिज्य नौवहन (पोतों के टन भार माप) नियम, 1991 के नियम 2 के अनुसार की जाएगी।"

3. नियम 6 में, "अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन "शब्दों के स्थान पर" अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन "शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियम के नियम 12 में, -

(i) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) सभी अंतर्देशीय जलयानों, जहां सीवेज उत्पन्न होता है, को समुचित सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र या बायो-डाइजेस्टर या जलयान में सवार व्यक्तियों के लिए पर्याप्त क्षमता का होल्डिंग टैंक उपलब्ध कराया जाएगा।"

(ii) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''(3) 60 मिनट से कम की समुद्री यात्रा करने वाले जलयानों को उप-नियम (2) में शामिल अपेक्षाओं से छूट दिया जा सकता है।''

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021-आईडब्ल्यूटी(9)]

डॉ. कमला कान्ता नाथ, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi the 29th October, 2024

G.S.R. 671(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 52, sub-sections (1) and (3) of section 53 and sub-section (1) of 54 read with clauses (zm) to (zp) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 on 2021), the Central Government proposes to amend the Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) Rules, 2022 notified by the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways vide number G.S.R. 427(E) dated the 7th June, 2022 and hereby publish as required by sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021) for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 251, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at ajay.sirohi@nic.in and uttam.mishra27@gov.in within the period specified above;

Draft Amendment

1. (1) These rules may be called as the Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) (First Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2 after the clause (c), the following explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation. - For the purpose of this sub-rule, Gross Tonnage of vessels above 24 meters shall be calculated according to International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 whereas Gross Tonnage of vessels less than 24 meters shall be calculated according to Rule 2 of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1991."

3. In rule 6, for the words "International Organisation of Standards", the words "International Organization for Standardization" shall be substituted.

4. In rule 12 of the said rules, -

i. for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(2) All inland vessels where sewage is generated are to be provided with an appropriate sewage treatment plant or bio-digester or holding tank of such capacity sufficient for the number of persons on board."

ii. for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(3) Vessels engaged on voyages of less than 60 minutes duration may be exempted from requirements contained in sub-rule (2)."

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT(9)]

Dr. KAMALA KANTA NATH, Adviser (Statistics)

.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR
Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2024.10.30 21:09:46 +05'30'